संख्या-56/2021/1014/26-3-2021-10(1)/2017

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च 2021

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में अनुसूचित जनजाति की 50 छात्राओं की क्षमता के अतिरिक्त निर्माणाधीन छात्रावास को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-609/43/ज0जा0वि0/निर्माण/2020-21, दिनांक-18.03.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में 100 छात्राओं की क्षमता के निर्माणाधीन छात्रावास भवन के अतिरिक्त 50 छात्राओं की क्षमता के अतिरिक्त निर्माणाधीन छात्रावास भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-129/2020/2534/26-3-2020-10(1)/2017, दिनांक-19.10.2020 द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में 100 छात्र क्षमता के छात्रावास को पूर्ण कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-56.14 लाख एवं 50 अतिरिक्त छात्र क्षमता के छात्रावास को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0-94.19 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-150.33 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 में अनुसूचित जातियों के लिये पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में अनुसूचित जनजाति की 50 छात्राओं की क्षमता के अतिरिक्त निर्माणाधीन छात्रावास को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृत धनराशि रू0-120.00 लाख (रू0 एक करोड़ बीस लाख मात्र) की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध् करायी जायेगी।

2-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, जनजाति विकास का होगा।

3-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथ उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

5-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाए।

6-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रमों के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

7-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

9-धनराशि का आवंटन बट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

10-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020, 11 अप्रैल 2020, 18 मई, 2020 तथा 29 सितम्बर 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण प्रारम्भ कराया जाए। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

12-प्रश्नगत कार्यो में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020, दिनांक-12.05.2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05-अनुसूचित जातियों के लिये बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रावास का निर्माण-24-वृहद निर्माण के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24 मार्च 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
राकेश कुमार सचान
अनुसचिव।

पृ0संख्या-56/2021/1014(1)/26-3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार सचान
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।